जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-FI/497/14/101-E/3583 दिनांक : 02.12.2019

कार्यालय आदेश

संकुल स्तरीय एवं विभिन्न स्तरीय सामुदायिक संगठन के सशक्तिकरण हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि (Initial Capitalization Fund) का प्रबंधन

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया है। इन सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ इत्यादि) के माध्यम से सदस्यों का क्षमतावर्धन किया जाता है।तत्पश्चात इन सामुदायिक संगठनों में परियोजना द्वारा सामुदायिक निवेश निधि (Community Investment Fund - CIF) के रूप में राशि का निवेश किया जाता है।

यह विभिन्न संगठनों के लिए एक निधि है जबकि व्यक्तिगत रूप से समुदाय के लिए ऋण है। इसका तात्यपर्य यह है कि इन सभी निधियों का विभिन्न सामुदायिक संगठन के स्तर पर ससमय पुनर्वापसी (repayment) एवं इसका पुनर्नियोजन (rotation) सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF) जो सामुदायिक निवेश निधि का ही एक भाग है, संकुल स्तरीय संगठन के लिए पूंजी / निधि है जबकि सम्बंधित ग्राम संगठन एवं समूहों के लिए यह CLF से प्राप्त ऋण के रूप में है। ICF एक ऐसी निधि है जो सामुदायिक संगठन के तीनों स्तरों (SHG,VO,CLF) से जुड़ा हुआ है । अतः ICF का उचित प्रबंधन सामुदायिक संगठन के तीनो प्रारूपों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इस उच्चतर संगठनो मे पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने पर जोर देने की जरुरत महसूस की गयी है । इसे ध्यान मे रखते हुए सभी संकुल स्तरीय संघ के लिए एक नोडल पर्सन(राज्य/ जिला स्तरीय प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक) को स्वेच्छा से अनुग्रहित संकुल संघ के आधार पर नामित किया गया है। इसकी विवरणी कार्यालय आदेश के साथ सलग्न है । सभी नोडल पर्सन को निम्नलिखित कार्य को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिया जाता है :-

(I) सभी नोडल पर्सन कार्यालय आदेश से 15 दिनों के अन्दर सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ पर **एक विशेष बैठक** करेंगे और निम्न स्थितियों का आकलन करेंगे;-

(क) ICF निधि का लेखा पुस्तकों मे निरूपण एवं MIS से इसका मिलान ।

(ख) ICF repayment की स्थिति की समीक्षा ।

(ग) ICF Rotation(वापस हुए ICF ऋण का सामान्य ऋण के रूप मे वितरण) की समीक्षा ।

(घ) Non Performing ग्राम संगठन को चिन्हित करना ।

(II) उपर्युक्त आकलन के बाद इन सभी तत्वों के महत्व की चर्चा बैठक मे की जाएगी एवं **इसके सुधार हेतु एक योजना तैयार करेंगे।** योजना के कार्यान्वयन हेतु एंकर पर्सन/बुक कीपर/मास्टर बुक कीपर/क्लस्टर फैसिलिटेटर/office bearer/समिति को ग्राम संगठनवार नामित करेंगे ।

(III) संकुल संघ की बैठक के 7 दिनों के अन्दर, ग्राम संगठन के स्तर पर ICF प्रबंधन हेतु विशेष बैठक सुनिश्चित करेंगे ।

(IV) ICF के प्रबंधन हेतु निम्न मुख्य प्रक्रियाये है जिनका अनुपालन करना अनिवार्य है :-

- **ICF Mapping** : ICF राशी का संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठन के स्तर पर इसका सही एवं शुद्ध निरूपण ।
- **ICF Repayment**: चूँकि ICF संकुल स्तरीय संघ की निधि/पूंजी है एवं ग्राम संगठन तथा समूह स्तरीय संगठन के लिए एक ऋण है अतः संकुल स्तरीय संघ तक ससमय वापसी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। {कार्यान्वयन की प्रक्रिया कार्यालय आदेश के साथ सलग्न}
- **ICF Rotation**: संगठन स्तर पर स्वचालित क्षमतावर्धन एवं समुदाय को वित्त प्राप्ति की निरंतरता बनाये रखने हेतु पूंजी का पुनर्विनियोजन एवं गतिशीलता अनिवार्य है।{इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया कार्यालय आदेश के साथ अनुसूची के रूप मे उपलब्ध है}।

(V) संकुल संघ के लिए उपर्युक्त सन्दर्भ मे किये गए प्रयासों का एक निश्चित समय अन्तराल पर समीक्षा की जाएगी एवं परिणामो का श्रेणीकरण किया जायेगा। परिणामो के श्रेणीकरण का पैमाना कार्यालय आदेश के साथ सलग्न ।(अनुलग्नक-II)

(VI) उपर्युक्त श्रेणीकरण MIS से प्राप्त आंकड़ो पर आधारित होगा। अतः संकुल संघ की वित्तीय गतिविधि का MIS मे संधारण बिना विलम्ब, **प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित नोडल पर्सन द्वारा** सुनिश्चित किया जायेगा ।

(VII) चूँकि संकुल संघ का अपना कार्यालय एवं आधारभूत संरचना स्थापित होने से उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति मे गतिशीलता एवं स्थायित्व आएगा,अतः वैसे सभी संकुल संघ जहा

परियोजना द्वारा पूर्व मे जारी दिशा निर्देशों एवं नियम के अनुसार कार्यालय आदि की व्यवस्था नहीं है- कार्यालय आदेश के 15 दिनों के अन्तर्गत इसे सुनिश्चित करवाना प्रखंड परियोजना प्रबंधक के साथ-साथ जिला परियोजना प्रबंधक की जिम्मेवारी होगी।

(VIII) संकुल संघ को परियोजना के द्वारा पूर्व निर्धारित नियमो एवं दिशा निर्देशों के अनुसार **स्थापना निधि** दी जाती है।जिन संकुल संघो को यह निधि प्राप्त नहीं हुई है उसे **दिसम्बर'19 माह के अंत तक** सम्बंधित संकुल संघो को उपलब्ध होना नोडल पर्सन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

स्थापना निधि के अतिरिक्त संकुल संघो को परियोजना द्वारा पूर्व निर्धारित मानको को संतुष्ट करने के उपरांत दस लाख रुपये की राशि ICF निधि के रूप मे उपलब्ध करवाई जाती है । इस सन्दर्भ मे **कार्यालय आदेश संख्या 2274 दिनांक 22.08.2017** निर्गत की गयी है ।सम्बंधित कार्यालय आदेश के अनुपालन उपरांत नोडल पर्सन द्वारा संकुल संघ को दस लाख रुपये की राशि ICF निधि के रूप मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(IX) सभी ग्राम संगठनो के माध्यम से समूहों मे ICF विनियोजित किया जाता है। संकुल संघ के अन्तर्गत **जिन ग्राम संगठनो द्वारा सभी सम्बंधित मानको को संतुष्ट करने के उपरांत ICF निधि प्राप्त नहीं हुई है, उसे नोडल पर्सन द्वारा इस निधि को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जायेगा।** इससे संकुल संघ पर ICF प्रबंधन को गतिशीलता मिलेगी एवं उसका सशक्तीकरण होगा।

(X) समस्त मुद्दों का **अनुश्रवण 7 दिनों पर प्रखंड स्तर पर तथा 15 दिनों के अंतराल पर जिला स्तर पर किया जायेगा,** जिसे प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे ।

सभी जिला मेंटर एक निश्चित समय अंतराल पर अपने जिला के अन्तर्गत सभी संकुल संघ के नोडल पर्सन के साथ बैठक करेंगे एवं संकुल संघ मे उपर्युक्त सन्दर्भ मे हुए प्रगति की समीक्षा करेंगे।

(XI) **यह कार्यालय आदेश 01 दिसम्बर 2019 से प्रभावी होगा** एवं तीन महीने के (फरवरी 2020 के) उपरान्त संकुल संघ मे हुए प्रगति की समीक्षा की जायेगी एवं प्रगति तथा प्रदर्शन के आधार पर आकलन कर सम्बंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं प्रयासों को सम्मानित एवं प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी अपेक्षित है ।

उपर्युक्त प्रक्रियाओ को अपनाने से पूंजी का प्रबंधन एवं इसकी गतिशीलता बढ़ेगी तथा सामुदायिक संगठनो के स्तर पर निर्णय क्षमता का विकास होगा। **उपर्युक्त सभी कार्यों को करने मे मदद करने हेतु अनुलग्नक के रूप मे क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रेषित किया जा रहा है ।**

उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है तथा क्रियान्वयन के लिए अति उपयोगी है। इस कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु इस मद मे योजना बनने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी। जिला परियोजना प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी कर्मियों/संकुल संघ/ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों को ससमय उपलब्ध करा दी गयी है।

30/4/19

(बालामुरुगन डी.)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि : सभी परियोजना कर्मी को अनुपालनार्थ प्रेषित !

अनुलग्नक-I

आरंभिक पूंजी का प्रबंधन (ICF Management)

(ICF Repayment & Rotation) आरंभिक पूंजी की पुनर्वापसी एवं पुँर्विनियोजन

संकुल स्तरीय संघ की निरन्तरता एवं स्वसंचालन क्षमता हेतु इसके पूंजी की गतिशीलता **(Repayment & Rotation)** अनिवार्य है। यहाँ इसके पूंजी की गतिशीलता का तात्यपर्य है - ग्राम संगठन से ICF एवं सामान्य ऋण के मूलधन एवं ब्याज की राशि का ससमय वापसी एवं वापस हुई राशि को ग्राम संगठन एवं समूह के माध्यम से समुदाय की ज़रुरत एवं मांग के अनुसार पुनः निवेश करना। इसकी गतिशीलता हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुपालन वांछित है:-

1. **प्रत्येक संकुल स्तरीय संगठन के स्तर पर पूंजी की गतिशीलता को करने/बढ़ाने के महत्व का सन्दर्भ सदस्यों के सामने रखेंगे** । इसके लिए जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी वह निम्नलिखित है :
   - पूंजी की गतिशीलता संकुल स्तरीय संगठन के आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो उसके स्वावलम्बी होने का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण होगा।
   - पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध होने से सदस्यों की रोजगार एवं अन्य ज़रूरतों की पूर्ति ससमय नहीं की जा सकती है।
2. इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि **संकुल स्तरीय आहूत विशेष बैठक के 7 दिनों के अंदर, ग्राम संगठन सदस्य समूहों के साथ बैठक करेगी** तथा पूंजी की गतिशीलता बढ़ाने की कार्यनिति पर ठोस निर्णय लेगी।
3. पूंजी की गतिशीलता कायम रखने हेतु यह अनिवार्य है कि सदस्यों द्वारा अपने सम्बंधित समूह / ग्राम संगठन / संकुल स्तरीय संगठन से वापसी एवं पुनः मांग में निरंतरता बनी रहे।**समूह एवं ग्राम संगठन स्तर पर मांग हेतु आवेदन प्रपत्र की प्रति इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न की जा रही है।**
4. प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा आवेदन प्रपत्र की प्रति (समूह द्वारा ग्राम संगठन को आवेदन,ग्राम संगठन द्वारा संकुल संघ को आवेदन) उसी बैठक मे **ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।**
5. पूंजी की गतिशीलता एवं उसकी ससमय वापसी (दोनों ही परिस्थितियो में चाहे ऋण सामुदायिक संगठनों से ली गयी हो या बैंकों से) एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।ऋण वापसी की स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने हेतु संकुल स्तर की गठित **विभिन्न उपसमितियों / कार्यकारिणी सदस्यों का उपयोग किया जाना चाहिए** ताकि भविष्य में संगठन के स्थायित्व में किसी प्रकार का बाधा महसूस न हो।

6. **सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु** संकुल स्तरीय संगठन द्वारा प्रत्येक चार ग्राम संगठन की जिम्मेदारी 2 सदस्यों की टीम को दी जा सकती है। इस तरह उदाहरण स्वरुप अगर किसी संकुल संगठन के अन्तर्गत चालीस (40) ग्राम संगठन है, वर्णित उपर्युक्त सन्दर्भ मे बीस (20) सदस्यों (40/4=10 टीम, 10 टीम =10*2 =20 सदस्य)की जरुरत पड़ेगी । इन टीमो के द्वारा निम्न कार्यों हेतु सहयोग लिया जा सकता है :-

(i) ग्राम संगठनो की निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत बैठक आहूत करवाना,

(ii) ICF को सामुदायिक संगठन के पूंजी रूपी महत्व एवं इसके ससमय पुनर्वापसी आदि के महत्व की चर्चा करना

(iii) ग्राम संगठन द्वारा समूह स्तर पर पुनः मांग हेतु निर्णय ।

(iv) ग्राम संगठन की उपसमितियों के माध्यम से सुनिश्चित करना की पूंजी के पुनः मांग मे सबसे गरीब परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ।

(v) ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठक(Community Mobilisors) को दैनिक बैठक मे समूह द्वारा बताई गयी पूंजी की जरुरत को संकलित कर आवेदन स्वरुप ग्राम संगठन को प्रेषित करना ।

(vi) ग्राम संगठन के द्वारा समूहों की पूंजी की जरुरत को संकलित कर पहले अपने पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति करना एवं बाकी पूंजी हेतु संकुल संघ को आवेदन प्रेषित करना ।

(vii) समूह को बैंक ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना ताकि अनुशासन के फलस्वरूप बैंकों से वित्तीय तरलता बनी रहे ।

(viii) समूहों को जरुरत के अनुसार बैंक से ऋण लेने हेतु मार्गदर्शन करना एवं ऋण दिलवाने मे मदद करना ताकि रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जा सके ।

7. **पूरी प्रक्रिया को व्यवहार मे लाने हेतु सम्बंधित संकुल संघ द्वारा नामित सदस्यों को ग्राम संगठनो एवं समूहों का भ्रमण भी करना होगा।** अतः यह जरुरी होगा कि संकुल स्तरीय संगठन उन्हें यात्रा भत्ता के अलावा 4-6 दिनों का मानदेय भी उपलब्ध करवा दे ।यह मानदेय 100 से 200 रुपया प्रति दिन तक हो सकता है ।मानदेय देने के साथ साथ संकुल स्तरीय संघ को उनके कार्यों के परिणाम की समीक्षा करना भी जरुरी होगा । सम्बंधित सदस्यों की टीम 15 दिन मे एक बार संकुल स्तरीय संघ पर एकत्र होगी तथा क्रिया कलापों की पूरी जानकारी संकुल संघ को देगी ।पूरी बैठक को कार्यवाही पुस्तिका मे अंकित करना भी जरुरी होगा ।

उपर्युक्त खर्च का वहन संकुल स्तरीय संघ द्वारा किया जायेगा।उपर्युक्त सन्दर्भ मार्गदर्शन के तौर पर है और संकुल संगठन अपने जरुरत एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार इनमे बदलाव कर सकती है ।

8. **ऐसे प्रखंड जहां संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है,** परन्तु विभिन्न ग्राम संगठनों में ऋण वापसी की रकम ग्राम संगठन स्तर पर आकर रुकी हुई है तथा पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध है वहां पर भी पूंजी की गतिशीलता को बढाने हेतु कार्य किया जाना अतिआवश्यक है।प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित है कि वे सभी ग्राम संगठन के प्रतिनिधि (सामुदायिक संगठन सहित) के साथ बैठक करेंगे तथा सदस्यों को उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान करेंगे।

9. **ICF Mapping का तकनिकी पक्ष**

संकुल संघ के लिए ICF की कुल निधि/पूंजी, संकुल संघ से तिथि विशेष पर जुड़े सभी ग्राम संगठन द्वारा विनियोजित ICF राशि के कुल योग के बराबर होगा ।

प्रत्येक ग्राम संगठन के लिए ICF की कुल निधि- ग्राम संगठन को परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ICF (यदि कोई है) एवं इसके अन्तर्गत जुड़े सभी समूहों मे परियोजना द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियोजित ICF राशि के कुल योग के बराबर होगा ।

10. **आइ सी एफ पुनर्वापसी (Repayment) का तकनिकी पक्ष**

ऋण पुनर्वापसी की प्रक्रिया मे अनुशासन बनाये रखने हेतु तकनीकि पक्ष को समझना एवं इसका अनुपालन अनिवार्य है, जो निम्न प्रकार से है –

- परियोजना द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अनुसार समूह एवं ग्राम संगठन के स्तर पर परियोजना द्वारा विनियोजित ICF की राशि संकुल स्तरीय संघ (CLF) द्वारा प्रदत ऋण है अतः CLF को इसकी पुनर्वापसी करना अनिवार्य होगा।
- पुनर्वापसी का दर (repayment rate) 100% वांछित है।इसका तात्यपर्य यह है कि ICF ऋण की वापसी मांग के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- इसे नियमित एवं अनुशाषित करने हेतु CLF स्तर पर **ऋण पुस्तिका एवं मांग पंजी का ससमय संधारण अनिवार्य है ।**
- पुनर्वापसी दर (Repayment Rate) =वापस प्राप्त मूलधन/मांग मूलधन * 100
- **मांग पंजी का संधारण** ICF Repayment के अनुश्रवण में सहायक होगा।**इसके संधारण एवं अनुश्रवण से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि CLF ICF repayment दर में सुधार हेतु किस ग्राम संगठन का कार्य प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं हो रहा है ।**
- सभी वापस हुए मूलधन एवं ब्याज प्राप्ति को लेखा पुस्तक में संधारण सुनिश्चित करें।

- यह अपेक्षित है कि लेखा पुस्तक के अंतर्गत संधारित कुल मूलधन वापसी एवं प्राप्त ब्याज का मिलान एक तिथि विशेष पर MIS के अंतर्गत संधारित तत्संबंधित राशि से करें एवं इसकी शुद्धता सुनिश्चित करें।

11. <u>पूंजी पुनर्विनियोजन (Rotation) का तकनीकि पक्ष</u>

- संकुल स्तरीय संघ द्वारा वापस प्राप्त **ICF** (मू.+ब्याज) की राशि पुनः सामान्य ऋण के रूप में ग्राम संगठन के माध्यम से विनियोजित किया जाता है। **इस सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सामान्य ऋण की वापसी की अवधि 24 से 30 माह तक ही होनी चाहिए।अगर किसी संगठन स्तर पर वापसी नियोजन की अवधि 30 माह से अधिक है तो इसे 30 माह के अंतर्गत पुनर्निर्धारित(rescheduling) करना अनिवार्य है।**इस कारण पूंजी की गतिशीलता तीव्र होगी और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अधिक से अधिक महिलाएं रोजानमुखी होते हुए लाभान्वित एवं समृद्ध हो सकेंगी।

- ग्राम संगठनों के द्वारा संकलित पूंजी की ज़रुरत आवेदन के रूप में संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित की जायेगी ।संकुल स्तरीय संगठन आवेदन के सापेक्ष में वापस की गयी राशि का आकलन करके , **समय पर वापसी करने वाले ग्राम संगठनों को 90% तक की राशि (पिछले ऋण की तिथि से ऋण आवेदन की तिथि तक वापस की गयी राशि का 90% तक) ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जा सकती है।**ऋण वापसी के सम्बन्ध में हमें अनुशाषन स्थापित करने हेतु देरी से ऋण वापस करने वाले ग्राम संगठनों के सन्दर्भ में ऋण की राशि, वापस की गई राशि (पिछले ऋण की तिथि से ऋण आवेदन की तिथि तक 80% तक करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।ऐसे ग्राम संगठन जो नए हैं और हाल में ही संकुल संगठन से जुड़े हैं , उन्हें भी ज़रुरत एवं आकलन के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है।इस स्थिति में ग्राम संगठन एवं इसके समूहों द्वारा ऋण वापसी के स्थिति की समीक्षा एक निर्णय का आधार हो सकता है।

12. यह सुनिश्चित करना संकुल संगठन के प्रतिनिधियों / हितधारियों एवं प्रखंड प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि ग्राम संगठन को उपलब्ध करवाई गयी राशि का उपयोग कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में ग्राम संगठन स्तर पर यह राशि बिना कारण पड़ी नहीं रहनी चाहिए।

संकुल संघ के श्रेणीकरण का पैमाना (Grading parameters for CLF)

(I) Repayment Rate:- मूलधन मांग के अनुपात मे मूलधन वापसी

>80% - **A** श्रेणी

<80% >60% - **B** श्रेणी

<60% >40% - **C** श्रेणी

<40% - **D** श्रेणी

(II) Rotation Rate:- वापस प्राप्त हुए मूलधन के अनुपात मे सामान्य ऋण का भुगतान

>90% - **A** श्रेणी

<90% >70% - **B** श्रेणी

<70% >50% - **C** श्रेणी

<50% - **D** श्रेणी

स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष, ... ग्राम संगठन

ग्रामः..... प्रखंडः..... जिलाः.....

विषय : समूह के सदस्यों की जरुरतों को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्यों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान को देखते हुए अपेक्षित पुनरावलोकन कर निम्न प्रकार से सदस्यवार राशि की मांग की जा रही हैः-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	पूर्व मे बकाया ऋण	सदस्य की मांग (राशि)	ऋण का उद्देश्य	समूह द्वारा पारित (राशि)	अभ्युक्ति
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
कुल राशि						

अतः निवेदन है कि स्वयं सहायता समूह (नाम....., ग्राम....., प्रखंड.....) को उपर्युक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि के रुप में उपलब्ध करायी जाय। इस रकम को ..... माह में लौटाने का वचन देते हैं।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांकः

ग्राम संगठन द्वारा CLF (संकुल स्तरीय संगठन) से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष, ... संकुल स्तरीय संगठन

ग्रामः..... प्रखंडः..... जिलाः.....

विषय : ग्राम संगठन के सदस्य समूहों की जरुरतों को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्य समूहों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान को देखते हुए अपेक्षित पुनरावलोकन कर निम्न प्रकार से समूहवार राशि की मांग की जा रही हैः-

क0 संख्या	सदस्य समूह का नाम	पूर्व में बकाया ऋण	सदस्य समूह की मॉग (राशि)	ग्राम संगठन द्वारा पारित (राशि)	अभ्युक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
कुल राशि					

मांग पत्र के साथ ग्राम संगठन की बैठक संख्या ..... दिनांक ..... का प्रतिवेदन भी संलग्न किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम संगठन (नाम....., ग्राम....., प्रखंड.....) को उपर्युक्त राशि आरंभिक पूंजीकरण निधि/सामान्य ऋण की राशि के रुप में उपलब्ध करायी जाय। इस रकम को ..... माह में लौटाने का वचन देते हैं।

अध्यक्ष का हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर सचिव का हस्ताक्षर

दिनांकः